भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 555

06 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

खाद्यान्नों की महंगाई

555. श्री डी.के.सुरेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नोट किया है कि हाल के समय में खाद्यान्नों की महंगाई बहुत अधिक हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार खाद्यान्नों की महंगाई से निपटने के लिए स्थानीय खरीद, भंडारण और वितरण जैसे कोई दीर्घकालिक उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): बदलते मौसम के कारण आपूर्ति संबंधी बाधाओं की वजह से जुलाई-अगस्त 2023 के दौरान, सितंबर-अक्तूबर 2023 में खाद्य पदार्थों के मूल्यों को कम कर दिया गया था। सरकार ने खाद्यान्नों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्यों को स्थिर करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) द्वारा लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और यह योजना अब दिनांक 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है जिससे कमजोर वर्गों को खाद्यान्नों के बढ़ते मूल्य से अत्यधिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

(ग) और (घ): खाद्य मुद्रास्फीति के प्रति सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सरकार द्वारा 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं की निगरानी की जाती है। दालों के मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत बफर स्टॉक रखा जाता है। अंततः, अधिक

.....2/-

उत्पादन तकनीक, क्रेडिट, फसल बीमा, सूक्ष्म सिंचाई और फसल कटाई के पश्चात सुविधाओं जैसे हस्तक्षेपों का लक्ष्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके।

इसके अलावा, राज्य सरकार की एजेंसियां और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) केंद्रीय पूल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) विनिर्देशों के साथ गेहूं और धान की खरीद करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें मजबूरन बिक्री का सहारा न लेना पड़े। तथापि, यदि उत्पादक/किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में बेहतर मूल्य मिलता है, तो वे अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी भी राज्य में खरीद केवल उत्पादन के साथ-साथ विपणन योग्य अधिशेष, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मौजूदा बाजार दर, मांग और आपूर्ति की स्थिति और निजी व्यापारियों की भागीदारी आदि जैसे अन्य कई कारकों पर भी निर्भर करती है।

****